बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।
आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–200 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों, विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न–भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरुप निविदा दस्तावेजों में एकरुपता नहीं रहती है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि एस0बी0डी0 के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका कुप्रभाव योजनाओं की प्रगति पर हो रहा है एवं परिवादों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में Contract Management से संबंधित निम्न विषयों पर निम्नवत् व्याख्या करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे हैः–

1. Experience of executed quantity of works

1.1 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन जल संसाधन विभाग के कार्यों के लिए मात्र निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की जायः–

- **I.** Earth Work (Excavation, Filling , Back Filling etc. का combined quantities in M^3)
- **II.** Cement Concrete (P.C.C., R.C.C., P.S.C, etc. का combined quantities in M^3)
- **III.** Protection works (Pitching/ Crating/ Soling with Boulder/Brick/Geo-bag/E.C.bag/Nylon crates/Gabians etc. का combined quantities in M^3)
- **IV.** Masonary Works (Boulder,Brick, etc. का combined quantities in M^3)
- **V.** Non Bituminous Work (GSB/WMM/WBM------ in M^3)
- **VI.** Bituminous Work (DBM/BM/SDBC/BC/PMC---------- in M^3)
- **VII.** Sheet pile (Only for Dam, Barrage & Weir, quantity in MT)

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य मद के अनुभव की मांग नहीं की जाय।

उपर्युक्त कंडिका I से VII में अंकित सभी निविदित मुख्य मदों के विरूद्ध अंकित विभिन्न कार्य मद उस कंडिका विशेष के लिए समतुल्य माने जायेंगे।

इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक 81 दिनांक 02.02.2012 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

1.2 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन Expected peak rate of construction की गणना वर्षवार की जाय। तत्पश्चात् संवेदकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु Expected peak rate of construction का 40 प्रतिशत (शीट पाईल को छोड़कर) ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रुप में मांगी जाय। उदाहरण स्वरुप– यदि सीमेंट कंक्रीट का कार्य एक वर्ष से अधिक अथवा दो वर्षों में 50000 घन मीटर पूर्ण किया जाना है तो एक वर्ष में किये जाने वाले कार्य की मात्रा 25000 घन मीटर होगी एवं G.Appendix 2 ITB के कंडिका 5 में कार्यानुभव के रुप में न्यूनतम वांछित मात्रा 25000 घन मीटर का 40 प्रतिशत 10000 घन मीटर होगी। यदि किसी कार्य को एक वर्ष या एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना है तो BOQ में प्रावधानित कार्य मदवार मात्रा का 40 प्रतिशत कार्यानुभव के रुप में न्यूनतम वांछित मात्रा होगी। शीट पाईल के मामले में Expected peak rate of construction का 25 प्रतिशत ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रुप में मांगी जाय।

2. **Availability of key and Critical Equipments**

2.1 SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(a) के अधीन बीडर को key and critical equipments for the work का availability(either owned or leased or by procurement against mobilisation advances) संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना है। इस प्रावधान की व्याख्या निम्न है:–

बीडर द्वारा निविदा में वांछित key and critical equipments की उपलब्धता के संबंध में owned संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन मशीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लीज की स्थिति में लीज एग्रीमेन्ट के साथ–साथ लीज करने वाले फर्म/व्यक्ति के पास मशीन के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। Procurement against mobilisation advances संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन वॉछित key and critical equipments के कोटेशन के साथ–साथ अधिकृत डीलर से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि एकरारनामा के एक महीने के अन्दर वॉछित key and critical equipments की कार्य स्थल पर आपूर्ति कर दी जायेगी।

2.2 इसी प्रकार कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाले मात्र निम्न Critical Equipments में से ही Availability की मांग की जायः–

1. Concrete batching and mixing plant
2. Concrete mixes with integral weigh batching facility
3. Paver finisher with electronic sensor
4. Dozer
5. Motor Grader
6. Vibratory roller / Smooth wheeled /sheep foot roller
7. Fully computerized Hot Mix plant with electronic sensors
8. Pocklain/ Excavator/ Front End Loader or any other loading mechine
9. Sheet pile driving equipment
10. Long boom Hydraulic crane
11. Concrete Rock Cutter
12. Tractor/ Tipper/Dumper

उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी मशीन के availability की मांग नहीं की जाय।

2.3 एस0बी0डी0 के सेक्सन–1 एनेक्सचर–I List of key and critical equipments में Max age as on ......(years) के कॉलम में पॉच वर्ष अंकित किया जाय। इस संबंध में संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का age पॉच वर्ष से अधिक नहीं है।

3. SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(b) के अधीन बीडर को availability for this work of personnel with adequate experience as required

as per annexure-II की व्याख्या निम्नवत की जाती है:–

Sl.No.	personnel	Qualification	contract package size						
			Rs. 5-30 Lacs	Rs. 30-70 Lacs	Rs. 70 Lacs to 2 crores	Rs. 2-10 crores	Rs. 10-30 crores	Rs. 31-50 crores	more than 50 crores
1	Project Manager	BE Civil+10years experienc(5years as manager) or retired EE					1	1	1
2	Site Engineer	BE Civil+7years experienc(3years experience of irrigation works) or retired AE			1	1	1	2	4
3	Quantity surveyor	BE Civil+5years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
4	Survey Engineer	BE Civil+3years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
5	Site Supervisor	Fresh Graduate in civil or Diploma civil +03years Exp. or retired I.T.I Holder.		1	1	1	2	3	4

कार्य की परिमाण विपत्र के आधार पर उक्त विवरणी के अनुरूप ही टेकनीकल पर्सनल की आवश्यकता की मांग की जाय।

4. <u>निविदा निस्तार की प्रकिया एवं **Clarification & Modification**</u>

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथा 686 दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से 2.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों में निविदाओं के निष्पादन में एस0बी0डी0 आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए Eligibility Criteria को प्रथम प्रक्रम एवं द्वितीय प्रक्रम में वर्गीकृत किया गया है। फलस्वरूप निविदाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं भ्रम की स्थिति बनती है। अतः एस0बी0डी0 के सेक्सन–1 ITB में वर्णित Criteria के अनुरूप ही निविदाओं का निष्पादन किया जाय। इस दृष्टिकोण से निविदा निष्पादन की प्रथम एवं द्वितीय प्रक्रमों की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। उक्त वर्णित जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथा 686 दिनांक 19.08.2014 को उक्त हद तक संशोधित माना जाय।

इसी प्रकार SBD के Section I, ITB कंडिका 22.4 (ii) के अनुरुप बिडर से Clarification & Modification प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.2014 की कंडिका 5.2 में Clarification & Modification के क्रम में सिर्फ उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जानी है, जो निविदा प्राप्ति के पूर्व के होंगे एवं निविदा के साथ अपलोड होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभिलेख अपलोडेड हैं, उन्हीं के आधार पर निविदा निस्तार किया जाना है। यदि अपलोडेड कागजात अस्पष्ट एवं अपठनीय है तो Clarification & Modification प्राप्त कर निर्णय लिया जाय, परंतु यदि किसी निविदाकार द्वारा SBD Section 1 ITB, G-Appendix to ITB, Section 2 Qualification Information में दिये गये निदेशों एवं विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाऐं एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है तो उनके संबंध में Clarification & Modification की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपलब्ध कागजातों के आधार पर ही निर्णय लिया जायेगा। इस आशय की सूचना निविदा आमंत्रण सूचना में ही सन्निहित कर दी जाय।

5. **Rate of indexing**

निविदा के साथ संलग्न Annual Turn Over, Value of Existing Commitments and ongoing works एंव अन्य Financial Figures को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से Indexing किया जाय।

6. **Contract Data and other informations**

6.1 SBD Section 1 G.Appendix to ITB Serial No.1 में Name of Employer संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं SBD Section 4 Contract Data Schedule F में इंजीनियर इन्चार्ज संबंधित कार्यपालक अभियंता ही होगें।

6.2 SBD Section 3 Conditions of Contract के कंडिका 8.2 में प्रावधानित Accepting Authority वही होंगे जिनके स्तर पर निविदा का निस्तार किया गया है, यानि निविदा दस्तावेजों/ परिमाण विपत्र में Discrepancy होने पर जिस स्तर पर निविदा का निस्तार हुआ है, वही इसके संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे ।

7. **Recoveries**

SBD की कंडिका 29, 29A, 53 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि किसी जॉच/अंकेक्षण के क्रम में यह पाया जाता है कि संवेदक के द्वारा Unsound एवं निम्न विशिष्टि का कार्य किया गया है अथवा संवेदक को अधिकाई भुगतान किया गया है एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा कटौती का निदेश निर्गत किया जाता है, तो एस0बी0डी0 के Clauses of Contract कंडिका 16 एवं Contract Data Schedule F के अनुसार संबंधित अधीक्षण अभियंता जो Reduced rate के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार हैं, के अनुमोदनोपरान्त माप पुस्तिका में इन्ट्री कर उस कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि अथवा उस संवेदक द्वारा विभाग में कराये जा रहे अन्य किसी कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि से एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी। यदि उक्त प्रावधानों के तहत वसूली संभव नहीं है तो न्यायालय में मनी सूट दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाय। उक्त कार्रवाई हेतु एकरारनामा के इंजीनियर इंचार्ज/संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राधिकृत रहेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 200 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियत्रंण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y. Singh
14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 200 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

Y. Singh
14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)